विवरणी

05-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमावन्दीदार मो० मेरी पति - जोसेफ खड़िया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमावन्दीदार के बेटे की पत्नी रोजालिया बिलुंग द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम किलेसेरा, खाता सं० 72 137 प्लॉट सं० __ रकबा 2.40 ए० भूमि का वर्ष 2010-11 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान रोजालिया बिलुंग ने अपना लिखित बयान दी है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमावन्दीदार के नाम से जमावन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमावन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मो० मेरी पति - जोसेफ खड़िया, ग्राम - किलेसेरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमावन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
किलेसेरा	72	137	—	2.40ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमावन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

05/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

05/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner